भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3371
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

लंबित मामले और ई-न्यायालय परियोजना

3371. श्री ससिकांत सेंथिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल लंबित मामलों का न्यायालय-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अद्यतन ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के लंबे समय से लंबित मामलों से संबंधित आंकड़े हैं और यदि हां, तो पांच वर्षों से अधिक और दस वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या ई-न्यायालय परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, डिजिटल मामले प्रबंधन, वर्चुअल सुनवाई और संबंधित न्यायिक अवसंरचना के लिए निधि को अनुमोदित और उपयोग किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित मामलों की संख्या को कम करने, मामलों के निपटान में सुधार करने और न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, तारीख 30.07.2026 तक, न्यायालयों में लंबित मामलों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की न्यायालय-वार और राज्य-वार कुल संख्या **उपाबंध-1** पर हैं। सम्पूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में

लंबित मामलों, पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की न्यायालय-वार और राज्य-वार कुल संख्या **उपाबंध-2** पर हैं।

(घ) और (ङ) : सरकार ने 7,210 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 (2023-2027) को अनुमोदित किया था। इस चरण में न्यायालयों को डिजिटल और कागजरहित न्यायालयों में परिवर्तित करना, सभी न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार करना और दांडिक न्याय प्रणाली के पणधारियों को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। इसका लक्ष्य ई-सेवा केंद्रों की सार्वभौमिक संतृप्ति, डिजिटल न्यायालयी अभिलेखों और आवेदनों के भंडारण के लिए एक अत्याधुनिक क्लाउड-आधारित डेटा संग्रह का सृजन और मामला विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अभिनियोजित करना भी है।

आज की तारीख तक, न्यायालयी अभिलेखों के 753 करोड़ से अधिक पृष्ठों को डिजिटल किया गया है और नागरिक सेवा परिदान को बढ़ाने के लिए 2,584 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रसुविधाओं के माध्यम से 4.18 करोड़ से अधिक सुनवाई की हैं। ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ मामले इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए हैं। बेहतर डिजिटल मामला प्रबंधन के लिए, डिजिटल न्यायालय प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जिससे न्यायाधीशों को कागजरहित न्यायालय व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-3 के अधीन इसके प्रारंभ से आबंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

ई-न्यायालय परियोजना चरण 3 के अधीन निधियां		
वित्तीय वर्ष	**बजट आबंटन**	**व्यय**
2023-24	825.00*	768.25
2024-25	1200.00*	1029.11
2025-26	1200.00*	717.45
2026-27	1200.00	29.00
कुल	**3225.00**	**2543.81**

*पुनरीक्षित प्राक्कलन

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों में निहित है। तथापि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। स्कीम में पांच घटक सम्मिलित हैं, अर्थात्, न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, वकीलों के हॉल, शौचालय

परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष। स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्कीम के प्रारंभ से लेकर तारीख 30.06.2026 तक 12,858.25 करोड़ रुपये की रकम वाली निधियां प्रदान की गई हैं। तारीख 30.06.2026 तक, 30,825 स्वीकृत पदसंख्या और न्यायिक अधिकारियों की 21,411 कार्यरत पदसंख्या के विरुद्ध 22,639 न्यायलय हॉल और न्यायिक अधिकारियों के लिए 21,495 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं।

उपाबंध-1

'लंबित मामले और ई-न्यायालय परियोजना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3371, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

तारीख 30.07.2026 तक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या	10 वर्ष से अधिक लंबित	5 वर्ष से अधिक लंबित
भारत का उच्चतम न्यायालय		**95,954**	**9,425**	**14,352**
	उच्च न्यायालय			
1	इलाहाबाद	12,28,281	4,89,981	2,41,591
2	बंबई	6,43,385	1,84,909	1,33,472
3	कलकत्ता	1,99,363	75,100	33,899
4	गुवाहाटी	65,244	4,859	18,828
5	तेलंगाना	2,43,119	36,300	65,390
6	आंध्र प्रदेश	2,53,706	56,037	60,137
7	छत्तीसगढ़	73,887	6,234	17,047
8	दिल्ली	1,26,177	20,581	21,654
9	गुजरात	1,75,833	25,313	44,542
10	हिमाचल प्रदेश	1,05,243	8,541	32,273
11	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	44,557	6,106	7,328
12	झारखंड	73,368	14,938	14,076
13	कर्नाटक	3,35,879	22,362	55,689
14	केरल	2,45,566	41,620	64,197
15	मध्य प्रदेश	4,92,459	1,54,546	98,634
16	मणिपुर	6,276	133	969
17	मेघालय	2,009	7	88
18	पंजाब और हरियाणा	4,22,920	1,32,940	95,070
19	राजस्थान	7,01,385	1,32,303	1,64,606
20	सिक्किम	323	4	12
21	त्रिपुरा	1,613	1	13
22	उत्तराखंड	63,425	6,360	17,075
23	मद्रास	5,69,436	1,19,993	85,858
24	उड़ीसा	1,70,346	38,936	30,724
25	पटना	2,23,170	39,465	50,187
	कुल	**64,66,970**	**16,17,569**	**13,53,359**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध-2

'लंबित मामले और ई-न्यायालय परियोजना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3371, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

तारीख 30.07.2026 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

क्रम संख्या	राज्य	लंबित मामलों की संख्या	10 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से अधिक
1	अंदमान और निकोबार	8,903	1,589	2,324
2	आंध्र प्रदेश	9,46,929	18,631	1,40,236
3	अरुणाचल प्रदेश	15,877	1,474	2,414
4	असम	5,95,122	10,682	55,404
5	बिहार	37,76,254	8,76,810	12,08,967
6	चंडीगढ़	1,00,147	448	5,929
7	छत्तीसगढ़	4,77,267	1,303	40,828
8	दिल्ली	17,29,177	44,142	2,18,871
9	गोवा	63,494	4,564	12,180
10	गुजरात	16,14,861	56,519	1,86,749
11	हरियाणा	15,27,436	5,488	2,15,533
12	हिमाचल प्रदेश	6,24,095	10,344	69,431
13	जम्मू-कश्मीर	3,65,645	20,767	63,876
14	झारखंड	5,71,695	43,869	1,13,079
15	कर्नाटक	23,37,197	1,00,192	3,31,219
16	केरल	17,87,816	47,686	2,89,169
17	लद्दाख	1,745	12	98
18	लक्षद्वीप	601	27	73
19	मध्य प्रदेश	21,42,280	36,080	3,48,670
20	महाराष्ट्र	61,70,497	5,53,893	12,04,334
21	मणिपुर	14,974	856	2,250
22	मेघालय	19,533	2,481	3,137
23	मिजोरम	9,654	25	555
24	नगालैंड	4,100	309	889
25	ओडिशा	18,68,294	3,07,182	4,60,365
26	पुडुचेरी	37,012	2,485	5,151
27	पंजाब	10,26,857	4,148	63,559
28	राजस्थान	27,61,162	83,537	6,10,905
29	सिक्किम	2,305	4	31
30	तमिलनाडु	17,89,467	63,691	2,04,421
31	तेलंगाना	10,02,018	20,061	1,56,997
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	8,652	394	1,507
33	त्रिपुरा	74,324	715	3,455
34	उत्तर प्रदेश	1,19,90,328	23,19,114	26,07,728
35	उत्तराखंड	3,03,581	7,243	47,455
36	पश्चिमी बंगाल	41,42,621	8,05,149	7,19,828
	कुल	**4,99,11,920**	**54,51,914**	**93,97,617**

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)
